मथुरा–वृन्दावन विकास प्राधिकरण,
मथुरा

निविदा–प्रपत्र

कार्य का विवरण :– मथुरा–वृन्दावन विकास प्राधिकरण में सिक्यूरिटी गार्ड्स की सेवायें उपलब्ध कराने का कार्य ।

सचिव
मथुरा–वृन्दावन विकास प्राधिकरण, मथुरा

मूल्य :– ₹ 1000/–
(वैट सहित)

<u>मथुरा–वृन्दावन विकास प्राधिकरण कार्यालय में सिक्यूरिटी गाड्र्स की सेवायें उपलब्ध कराये जाने हेतु निविदा</u>

निविदा दिनांक – 13.09.2016 **कार्य की अवधि – एक वर्ष**

धरोहर राशि – ¸ 25ए000६ निविदा का मूल्य – ¸ 1000/– (वैट सहित)

अनुमानित संख्या – 12 डंडा मैन एवं 02 गन मैन ।

<u>सामान्य निर्देश</u>

ι

1. सेवा प्रदाता एजेन्सी/फर्म को मथुरा–वृन्दावन विकास प्राधिकरण, मथुरा में सुरक्षा सेवा प्रदान करने हेतु आवश्यकता के अनुसार सिक्यूरिटी गाड्र्स उपलब्ध कराने होगें ।

2. संविदा की अवधि अनुबंध के दिनांक से 1 वर्ष के लिये होगी । विकास प्राधिकरण द्वारा किसी भी शासनादेश/उच्चादेश आदि के अनुपालन में अथवा सेवा संतोषजनक न होने पर सेवा संविदा समाप्त किया जा सकेगा तथा इस सम्बन्ध में सेवा प्रदाता एजेन्सी को कोई आपत्ति नही होगी । एजेन्सी/फर्म की सेवा से संतुष्ट होने पर संविदा की अवधि आपसी सहमति से उन्हीं नियम व शर्तों पर एक साल के लिये बढायी जा सकती है ।

ιι

1. इच्छुक सेवा प्रदाता एजेन्सी/फर्म से मुहरबंद निविदायें प्राधिकरण के शर्तों पर दिनांक 13.09.2016 को दोपहर 12.00 से 3.00 बजे तक मुख्य अभियन्ता, म0वृ0वि0प्रा0 के कक्ष में रखे बॉक्स में प्राप्त की जायेगी ।

2. निविदा के साथ ¸ 25,000/– की राष्ट्रीयकृत बैंक की सावधि जमा/डाकघर एन0एस0सी0 जो सचिव, मथुरा–वृन्दावन विकास प्राधिकरण के पक्ष में बंधक होगा, धरोहर धनराशि के रूप में संलग्न करना अनिवार्य होगा । बिना धरोहर धनराशि के निविदाये मान्य नहीं होगीं । धरोहर धनराशि असफल निविदादाताओं को निविदा प्रक्रिया समाप्त होने पर बिना किसी ब्याज के वापस कर दी जायेगीं ।

3. तकनीकी निविदा उसी दिन अपरान्ह 3.30 बजे निविदादाताओं/अधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में (यदि उपस्थित होना चाहें) खोली जायेगी । केवल उन्ही निविदा दाताओं की वित्तीय निविदायें खोली जायेगी जो तकनीकी निविदा में अर्ह होगें । तकनीकी रूप से अर्ह पाये गये निविदादाताओं को वित्तीय निविदा खोले जाने की तिथि एवं समय के सम्बन्ध में अलग से सूचित किया जायेगा ।

ιιι <u>**सेवा प्रदाता एजेन्सियों हेतु तकनीकी आर्हता**</u>

1. सेवा प्रदाता एजेन्सी/फर्म पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 कार्यालय के अंतर्गत सुरक्षा एजेन्सी की सेवा उपलब्ध कराये जाने हेतु पंजीकृत हो ।
2. सेवा प्रदाता एजेन्सी/फर्म कर्मचारी भविष्य निधि (ई0पी0एफ0) तथा कर्मचारी राज्य बीमा एक्ट (ई0एस0आई0) के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी के यहॉ पंजीकृत हो ।
3. सेवा प्रदाता एजेन्सी/फर्म आयकर एवं सेवाकर विभाग में पंजीकृत हो ।
4. सेवा प्रदाता एजेन्सी/फर्म का अपना बैंक खाता हो ।
5. सेवा प्रदाता संस्था/फर्म सरकारी/अर्द्धसरकारी/बैंक/पी0एस0यू0 के कार्यालयों में वर्तमान में उपरोक्त सुरक्षा सेवा उपलब्ध कराने का कार्य कर रही हो तथा गत तीन वित्तीय वर्षों (2013–14, 2014–15 एवं 2015–2016) में उपरोक्त सुरक्षा सेवा उपलब्ध कराने का अनुभव होना चाहिए ।
6. सेवा प्रदाता एजेन्सी/फर्म द्वारा विगत तीन वर्षो (निविदा प्राप्त किये जाने की तिथि तक) में सुरक्षा सेवा उपलब्ध कराने का कम से कम एक अनुबन्ध पूरा किया गया हो जिसकी लागत रू0 10.00 लाख से कम न हो अथवा दो अनुबन्ध जिसकी लागत रू0 6.00 लाख प्रत्येक से कम न हो ।
7. फर्म का समान प्रकार के कार्यो का पिछले तीन वित्तीय वर्षों (2013–14, 2014–15 एवं 2015–2016) का क्यूमेलेटिव टर्न ओवर रू0 20.00 लाख से कम न हो ।
8. फर्म को केन्द्र सरकार, राज्य सरकार अथवा किसी पी0एस0यू0 में काली सूची में दर्ज नही किया गया हो ।

प्ट निविदा टू–विड सिस्टम के आधार पर सील बंद लिफाफों में अलग–अलग दी जायेगी ।

(क) <u>तकनीकी निविदा</u>

प्रथम सील बन्द लिफाफा जिसके ऊपर ''ज्मबीदपबंस ठपक'' लिखा होगा में निर्धारित प्रारूप संलग्नक – 1 पर तकनीकी निविदा दिया जायेगा ।

तकनीकी निविदा के साथ निम्न प्रपत्र संलग्न किया जाना अनिवार्य है :–

1. (1) प्रोपराइटर फर्म के सम्बन्ध में प्रोपराइटर का नाम, पार्टनशिप फर्म के सम्बन्ध में पार्टनरशिप फर्म की पार्टनशिप डीड तथा कम्पनी एवं अन्य मामले में संस्था का सर्टिफिकेट आफ इनकॉरपोरेशन संलग्नक करना होगा ।

(2) फर्म को तकनीकी बिड के साथ में पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के कार्यालय से निर्गत पंजीकरण प्रमाण–पत्र, ई0पी0एफ0 पंजीकरण, ई0एस0आई0 पंजीकरण, पेन नं0, एवं सर्विस टैक्स रस्ट्रिेशन सम्बन्धित प्रमाण–पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा ।

(3) पिछले तीन वित्तीय वर्षों में पी0एस0यू0 / अर्द्ध सरकारी / सरकारी विभाग में किये गये सामान प्रकार के कार्य का रू0 10.00 लाख का एक सेवा अनुबन्ध कार्य अथवा रू0 6.00 लाख का दो सेवा अनुबन्ध का प्रमाण / साक्ष्य देना होगा ।

(4) पी0एस0यू0 / अर्द्ध सरकारी / सरकारी विभाग मं वर्तमान में समान प्रकार के किये जा रहे कार्यों का विवरण प्रमाणित अभिलेखों सहित दिये गये प्रारूप पर देना होगा ।

(5) पिछले तीन वर्षों की आडिटेड बैलन्स शीट तथा आयकर रिटर्न संलग्न करनी होगी ।

(6) इस आशय का शपथ पत्र (नोटरी द्वारा प्रमाणित) कि फर्म को केन्द्र सरकार, राज्य सरकार अथवा किसी पी0एस0यू0 में काली सूची में दर्ज नही किया गया है ।

2. निविदा की समस्त शर्ते मान्य होने के सम्बन्ध में निर्धारित प्रारूप संलग्नक – 2 पर घोषणा पत्र ।

3. धरोहर धनराशि (ई0एम0डी0) के रूप में रू0 25,000.00 (रू0 पच्चीस हजार मात्र) का राष्ट्रीयकृत / शैड्यूल बैंक का एफ0डी0आर0 अथवा एन0एस0सी0 जो सचिव, मथुरा–वृन्दावन विकास प्राधिकरण के पक्ष में बंधक होगा ।

सशर्त, अपूर्ण अथवा बिना धरोहर धनराशि के निविदा किसी भी दशा में मान्य नही होगी ।

(ख) <u>वित्तीय निविदा</u>

1. दूसरा सील बन्द लिफाफा (वित्तीय प्रपत्र निविदा) जिसके ऊपर ''थ्पदंदबपंस ठपक '' लिखा हो में सभी श्रेणियों के कार्यों हेतु अलग–अलग दरें निर्धारित प्रारूप संलग्नक 3 पर प्रतिदिन प्रति सुरक्षा गार्ड के आधार अंकित करनी होगी ।

2. वित्तीय निविदा प्रपत्र में प्रतिदिन मजदूरी की दर, ई0पी0फ0, ई0एस0आई0 तथा फर्म के चार्जेज पृथक एवं स्पष्ट रूप से अंकित करना होगा ।

3. सेवाकर का भुगतान/प्रतिपूर्ति प्राधिकरण द्वारा नियमानुसार पृथक से किया जायेगा ।

नोटः–

1. श्रम विभाग उ0प्र0 सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन शर्तो को पूरा न करने वाले निविदायें स्वीकार नहीं किये जायेगें ।

2. सेवा प्रदाता एजेन्सी/फर्म द्वारा एजेन्सी की सर्विस चार्जेज निविदा डाले जाने की तिथि को प्रभावी न्यूनतम वेतन के 5 प्रतिशत से कम होने पर ऐसी निविदायें मान्य नहीं होगीं एवं उन पर विचार नहीं किया जायेगा ।

<u>निविदा की नियम एवं शर्तें</u>

1. सेवा प्रदाता एजेन्सी/फर्म को 8–8 घण्टे की शिफ्ट के आधार पर 24 घण्टे हेतु सिक्युरिटी गार्ड्स की सेवाये उपलब्ध करानी होगी । सेवा प्रदाता एजेन्सी/फर्म द्वारा किसी भी सिक्यूरिटी गार्ड की अनुपस्थिति की दशा में उनके स्थान पर अतिरिक्त सिक्यूरिटी गार्ड की तैनाती करनी होगी तथा इसकी सूचना विभाग को तत्काल उपलब्ध करानी होगी ।

2. संविदा पर उपलब्ध कराये गये सुरक्षा गार्डों का चरित्र व आचारण अच्छा होना चाहिए ।

3. सिक्यूरिटी गार्ड्स की ड्रैस एवं नाम का बैच फर्म/ठेकेदार द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा ।

4. सुरक्षा गार्ड की सेवाओं हेतु आवश्यकतानुसार संख्या किसी भी समय घटाई या बढाई जा सकती है ।

5. सेवा संविदा के रूप में उपलब्ध कराये गये व्यक्तियों का कार्य किसी भी रूप से शासकीय सेवा के रूप मे नही माना जायेगा ।

6. थ्वत ंसस ंदक चनतचवेमेए जीम चतवअपकपदह ब्वउचंदलध्थ्पतउ ेींसस इम जीम ष्म्उचसवलमतष्ू पजीपद जीम उमंदपदह व िकपिमितमदज संइवनत समहपेसंजपवद पद तमेचमबज व िचमतेवददमस ेव मउचसवलमक ंदक कमचसवलमक पद जीपे ।नजीवतपजलण जीम चमतेवदे कमचसवलमक इल जीम ब्वउचंदलध्थ्पतउ पद जीम ।नजीवतपजल ेींसस दवज ींअम बसंपउे व िंदल म्उचसवलमत ंदक म्उचसवलमम तमसंजपवदेीपच दवत ेींअम ंदल चतपदबपचंस ंदक ंहमदज तमसंजपवदेीपच ूपजी वत ंहंपदेज जीपे ।नजीवतपजलण

7ण प्द ंदल व िचतपदबपचंस व िजीपे बवदजतंबज वद पजे मगचपतल वत वजीमतूपेमए जीम चमतेवदे कमचसवलमक इल जीम ेमतअपबमक चतवअपकपदह ब्वउचंदलध्थ्पतउ ेींसस दवज इम मदजपजसमक जव ंदक ूपसस ींअम दव बसंपउए वित ंदल ‍ंइेवतचजपवद दवत ंदल तमसंगंजपवद वित ंइेवतचजपवद पद तमहनसंतध्चमतउंदमदज बंचंबपजलण

8. ठेकेदार हर समय यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके कर्मचारी जब तक प्राधिकरण की ड्यूटी पर रहेगें अनुशासन में तथा अच्छा व्यवहार करेगें । इसके विपरीत यदि ठेकेदार का कोई कर्मचारी किसी अनुशासनहीनता या दुर्व्यवहार या नारेबाजी या किसी हिंसक क्रियाओं में लिप्त पाया जाता है, या किसी दूसरे कर्मचारियों को उकसाता है और उसके खिलाफ प्रथम दृष्टया यह साबित हो जाता है तो ठेकेदार को अपने उस कर्मचारी को उसी समय कार्य से हटाना होगा । इसके लिये उसे प्राधिकरण के अधिकारी द्वारा लिखित सूचना दी जायेगी जो ठेकेदार को प्राप्त करनी होगी ।

9. सिक्यूरिटी गार्ड्स द्वारा प्राधिकरण कार्यालय में किसी भी प्रकार की चोरी/क्षति की जाती है तो फर्म/ठेकेदार द्वारा उक्त चोरी/क्षति का वहन किया जायेगा ।

10. सेवा संविदा पर उपलब्ध कराये गये सुरक्षा गार्डों के पारिश्रमिक का भुगतान सम्बन्धित सेवा प्रदाता संस्था द्वारा प्रत्येक माह की 7 तारीख से पूर्व सुनिश्चित करना होगा । सम्बन्धित कर्मचारियों के पारिश्रमिक आदि का भुगतान संस्था द्वारा इस आधार पर विलम्ब/रोका नही जा सकेगा कि सेवा प्रदाता संस्था/ठेकेदार का कोई भुगतान प्राधिकरण कार्यालय में लम्बित है ।

11. सेवा प्रदाता श्रमिकों के पारिश्रमिकों का भुगतान एकाउन्ट पेई चैक/आर0टी0जी0एस0/एन0ई0एफ0टी0 के माध्यम से प्रतिमाह श्रमिकों के खाते में एकमुश्त किया जायेगा एवं भुगतान विवरण आगामी माह के बिल के साथ प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा ।

12. सेवा प्रदाता एजेन्सी/फर्म द्वारा सुरक्षा गार्डों की सेवा सम्बन्धी बिल का भुगतान इस कार्यालय को प्रस्तुत किया जायेगा तथा कर्मियों को विगत माह में किये गये पारिश्रमिक का भुगतान, ई0पी0एफ0, ई0एस0आई0 एवं सेवाकर आदि के भुगतान से सम्बन्धित अभिलेखिय साक्ष्य प्रश्नगत बिल के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किये जायेगें । उक्त अभिलेख/साक्ष्य प्रस्तुत न करने की दशा में प्राधिकरण द्वारा बिल की आंशिक धनराशि/समस्त धनराशि रोकी जा सकती है ।

13. विभाग द्वारा सम्बन्धित संस्था को अनुबन्धित पारिश्रमिक दर पर भुगतान नियमानुसार श्रोत पर कर आदि की कटौती कर चेक द्वारा किया जायेगा ।

14. सेवा प्रदाता एजेन्सी/फर्म को न्यूनतम पारिश्रमिक अधिनियम के अन्तर्गत श्रम विभाग उ0प्र0 द्वारा निर्धारित प्रभावी दरों का अनुपालन किया जाना होगा ।

15 श्रम विभाग उ0प्र0 द्वारा न्यूनतम मजदूरी की दरों में परिवर्तन किये जाने तथा अन्य वैधानिक देयताओं (ई0पी0एफ0, ई0एस0आई एवं सेवाकर) की दरें परिवर्तित होने की दशा में प्राधिकरण द्वारा उक्त परिवर्तित मजदूरी/दरों के आधार पर भुगतान किया जायेगा । किन्तु सेवा प्रदाता फर्म द्वारा अपनी निविदा में एजेन्सी चार्जस के रूप में अंकित शुद्ध धनराशि में कोई वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी तथा उक्त दर सम्पूर्ण संविदा अवधि केलिये मान्य होगी ।

16. प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण(विनियम) अधिनियम 2005 एवं उ0प्र0 प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण नियमावली, 2009 के प्राविधानों, श्रम विभाग उ0प्र0 के अनुसार न्यूनतम पारिश्रमिक, ई0पी0एफ0, ई0एस0आई0 एवं श्रम कानूनों के वैधानिक प्राविधानों, तथा सुरक्षा गार्डो की सेवायें उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में लागू अन्य समस्त नियमों/प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सम्बन्धित सेवा प्रदायी संस्था की होगी ।

17. ठेका स्वीकृत होने की दशा में सेवा संविदा का अनुबन्ध कराना अनिवार्य होगा, जिसका व्यय सेवा प्रदाता संस्था द्वारा वहन किया जायेगा ।

18. ठेकेदार को एक वर्ष के लिये अनुबन्धित धनराशि का 10 प्रतिशत अग्रिम जमानत धनराशि परफोरमैनस सिक्यूरिटी के रूप में मथुरा–वृन्दावन विकास प्राधिकरण में एफ0डी0आर0/एन0एस0सी0 के रूप में जो सचिव, मथुरा–वृन्दावन विकास प्राधिकरण के पक्ष में बंधक होगा जमा करना होगा । यह राशि ठेका समाप्ति के समय बिना किसी व्याज के ठेकेदार को भुगतान की जायेगी। यदि कोई ठेकेदार ठेके की शर्तों का उल्धंन करता है, तो उनकी जमा जमानत धनराशि जब्त कर ली जायेगी ।

19. सेवा प्रदाता पर एजेन्सी/फर्म ठेके को अथवा ठेके के अनुबन्ध के अंतर्गत प्राप्त अपने किसी भी अधिकार को किसी भी दशा में अन्य किसी भी व्यक्ति/फर्म को हस्तान्तरित/सबलेटिंग नहीं करेगा । ऐसा करने की दशा में अनुबन्ध निरस्त कर दिया जायेगा तथा जमानत धनराशि जब्त कर ली जायेगी ।

20. जीम चमतपवक व िजीम बवदजतंबज उंल इम बनतजंपसमकध्जमतउपदंजमक जीम बवदजतंबज चमतपवक वूपदह जव अपवसंजपवद व िजीम बवदकपजपवदे व िजीमए कमपिबपमदबल पद ेमतअपबमए ेनइेजंदकंतक ुनंसपजल व िउंदचवूमत कमचसवलमक इल जीम ेमसमबजमक ंहमदबल वत पदकनबजपवद व िजमहनसंत उंदचवूमत पद डटक।ण जीम डटक।ए

ीवूमअमतए तमेमतअमे तपहीज जव जमतउपदंजम जीपे पदपजपंस बवदजंबज ंज ंदल जपउम ंजिमत हपअपदह वदम ूममाे दवजपबम जव जीम `मसमबजमक `मतअपबम चतवअपकपदह ।हमदबलण

21. अपंजीकृत, विधिक शर्तों को पूरा न करने वाली, आयकर देनदारी का भुगतान न करने वाली फर्मों तथा अपूर्ण निविदा प्रपत्रों को निरस्त कर दिया जायेगा ।

22. टेंडर की किसी शर्त को संशोधित करने/वापस लेने तथा किसी भी निविदा को बिना कोई कराण बताये निरस्त करने, स्वीकार करने एवं कार्य को कई ठेकेदारों में विभजित करने का अधिकार उपाध्यक्ष, मथुरा–वृन्दावन विकास प्राधिकरण में निहित होगा तथा किसी भी विवाद की स्थिति में उपाध्यक्ष, मथुरा–वृन्दावन विकास प्राधिकरण का निर्णय अंतिम होगा ।

संलग्नक – 1

ज्म्छक्म्त् थ्व्त्ड

जीम ैमबतमजंतल
डंजीनतं टतपदकंअंद क्मअमसवचउमदज ।नजीवतपजल
डंजीनतं

ैनइरू ज्मदकमत वित चतवअपकपदह उंदचवूमत जव चमतवितउ रवइे पहदमक पद जीम वििपबम वि जीम डंजीनतं.टतपदकंअंद क्मअमसवचउमदज ।नजीवतपजल डंजीनतं
ए उ नइउपजजपदह ीमतमूपजी जीम जमदकमत वित चतवअपकपदह उंदचवूमत पद जीम डटक्।ए डंजीनतं जीम इतपम िकमजंपसे वत पितउ तम नदकमत रू.

1. छंउम वि थ्पतउ ....

2. ।ककतमे ....

....

3. ल्मंत वि म्ेजंइसपेीउमदज ख्यंतजदमतेीपच कममक पदबेम वि चंतजदमतेीपच बमतजपपिबंजम वि प्दबवतचवतंजपवद पद बेम वि बवउचदपमे ;चीवजवबवचल ंजजबीमकद्ध, ...

4. त्महपेजतंजपवदध्स्पबमदेम छवण ;ंइवनत क्मचंतजउमदज ध्च्थ् ब्वअमतंहमद्ध ख्चीवजवबवचल ंजजबीमक , ...

5. च्ंद ब्तंक छवण ख् चीवजवबवचल ंजजबीमक , ...

6. ैमतअपबम ज्ंग त्महपेजतंजपवद छवण्ध् चीवजवबवचल ंजजंबीमक , ...

7. म्ैप्ब् त्महपेजतंजपवद छवण्ध् चीवजवबवचल ंजजंबीमक , ...

8. म्च्थ् त्महपेजतंजपवद छवण्ध् चीवजवबवचल ंजजंबीमक , ...

9. क्वबनउमदजे ीवूपदह बवउचसमजपवद ंज समेंज वदम ेपउपसंत ेमतअपबम वि अंसनम दवज समे जींद त्े 40 सी वत ंज समेंज जूव ेमतअपबमे वि अंसनम दवज समे जींद त्े 25 सी मंबी तमसंजमक जव चतवअपकपदह ीनउंद तमेवनतबमे पद ेपदहसम बवदजतंबजए पद जीम संेज जीतमम लमंते ंजजंबीमकण

10. क्मजंपसे वि बवदजतंबजे मगबनसजमक पद संेज जीतमम लमंते 2013.14ए 2014.15 – 2015.16 ख्व्सममें हपअम कमजंपसे वि बवदजतंबज मगमबनजमक पद ेमचंतंजम ीममजए ंसवदह ूपजी कवबनउमदजंतल चतववि जीमतमवण्,

ैण्छवण	ल्मंत	छंजनतम वि वतहंदप्रंजपवद	।उवनदज	चमतपवक वि बवदजतंबज
1				
2				
3				
4				
5				

11. क्मजंपसे वि चतमेमदज बवदजतंबज पद ींदक ख्कवबनउमदजंतल चतववि ंजजबीमक,

ैण्छवण	छंउम वि वतहंदप्रंजपवद	छंजनतम वि ूवता	।उवनदज	चमतपवक वि बवदजतंबज
1				
2				
3				
4				
5				

12 ।ििकंअपज ;छवजंतपेमकद्ध `जंजपदह जींज जीम ैमतअपबम च्तवअपकमत पे ध्ीं दवज इममद इसंबा सपेजमक इल ब्मदजतंस ळवअमतदउमदज क्मचंतजउमदजेध्ैजंजम ळवअमतदउमदजध्ैजंजनजवतल इवकपमेध्।नजवदवउवने इवकपमेध् ैै ंज ंदल चवपदज वि जपउमण

13 ग्तदमेज उवदमल कमचवेपज रू क्क छव .... कंजम ....

वित ेे .... क्तूंद वद ....

14 ब्वचल वि सेंज जीतमम लमंते ;2013.14ए 2014.15 – 2015.16द्ध प्दबवउम जंग त्मजनतद – ।नकपजमक ठंसंदबम ीममजण ैंसम. ।जजमेजमक बवचपमे वि त्महपेजतंजपवदध्स्पबमदेमए च्द ब्ंतकए ैमतअपबम जंगए म्ब्थ्ए ैम् त्महपेजतंजपवद ब्मतजपपिबंजम – ब्वदजतंबज म्गमबनजमक ंदक प्द भ्ंदक ीवनसक इम ंजजंबीमक ंसवदह ूपजी जीम ज्मदकमत थ्वतउ,

कंजम रू.

च्संबम रू. ैपळछ।ज्न्त्म् व्थ् ज्म्छक्म्त्म्

संलग्नक – 2

<u>क्म्ब्स्।त्।ज्प्व्छ</u>

१...ैवदध्क्ंन्हीजमतध्ंपमि वि ंनजीवतप्रमक `पहदंजवतल वि जीम ।हमदबलध्ध्पतउ उमदजपवदमक ंइवअमए पे बवउचमजमदज जव `पहद जीपे कमबसंतंजपवद ंदक मगमबनजम जीपे जमदकमत कवबनउमदज य

2. ीं अम बंतमनिससल तमंक ंदक नदकमतेजववक ंसस जीम जमतउे ंदक बवदकपजपवदे वि जीम जमदकमत ंदक नदकमतजंाम जव ंइपकम जव जीमउय

3. जीम पदवितउंजपवदध्कवबनउमदजे नितदपेीमक ंसवदह ूपजी ंइवअम ंचचसपबंजपवद ंतम जतनम ंदक ंनजीमदजपब जव जीम इमेज वि उल ादवूसमकहम ंदक इमसपमणि ९ ूमए ंउंध्तम ूमसस ंूतम वि जीम बिज जींज नितदपेीपदह वि ंिस सिम पदवितउंजपवदध्इितपबंजमक कवबनउमदज ूवनसक समंक जव तमरमबजपवद वि उल जमदकमत ंज ंदल `जंहम इमेपकमे सपंइपसपजपमे जवूंतके चतवेमबनजपवद नदकमत ंचचतवचतपंजम सूंए

ैपहदंजनतम वि ंनजीवतप्रमक चमतेवद

थ्नसस छंउम रू

ैमंस रू

क्ंजम रू

च्संबमरू

संलग्नक – 3

थ्प्छ।छब्प्।स् ठप्क थ्व्त्ड।ज

;ज्व इम मदबसवेमक पद `मंसमक मदअमसवचमद्ध

ैमबनतपजल ळनंतक	ॅहमे चमत ैमबनतपजल ळनंतक चमत कंलण	म्च् बींतहमे चमत उवदजी	म्ैप् चमत उवदजी	।हमदबल बींतहमे	ज्वजंस चमत ैमबनतपजल ळनंतक चमत कंल
1	2	3	4	5	6
ळनद डंद					
ैजपबा डंद					

छवजम रू.

1ण ैमतअपबम जंग ेंसस इम चंपक मगजतं्ंतमपउइनतेमक ंे चचसपबंइसम तिवउ जपउम जव जपउमण

2ण प् जीम तंजमे्ुनवजंजपवदे्ंहम चसने जीम `जंजनजवतल बवदजतपइनजपवद सपाम म्च्थ् म्ैप् मजबण्द्ध `नइउपजजमक इल जीम ंहमदबल तम विनदक जव इम समे जींद उपदपउनउ ूंहमे दवजपपिमक इल ळंइवनत क्मचंतजउमदज ळवअजण व्िन्च्छ जीम इपके व िनबी ंहमदबल ेींसस दवज इम बवदेपकमतमकण

3ण सेवा प्रदाता एजेन्सी/फर्म द्वारा एजेन्सी की सर्विस चार्जेज निविदा डाले जाने की तिथि को प्रभावी न्यूनतम वेतन के **5** प्रतिशत से कम होने पर ऐसी निविदायें मान्य नहीं होगीं एवं उन पर विचार नहीं किया जायेगा ।

ॅम कव ीमतम इल नदकमतजांम जींज पद जीम मअमदज व िबबमचजंदबम व िवनत इपक ूम ूपसस चतवअपकम जीम `मतअपबम ें `जपचनसंजमक पद जीम जमदकमत कवबनउमदज ंदक जींज ूम ेींसस चमतवितउ ंसस जीम पदबपकमदजंस `मतअपबमेण

कंजम ण् **ैप्छ।ज्न्त् – ै भ्।स् व् ठप्क्क्म्त्**

छ।डम् व् ।क्क्त्म्ैैण्

ण्

ण्